संख्या– 731 /XVI(1)/10/7(18)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 04 अगस्त,2010

विषयः–**SARL LINARD-DES PEPINIERES Du PONDAILLAN RUE DU PONDAILLAN-46200 SOUILLAC FRANCE से अखरोट एवं नाशपाती के पौधे कय करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–284 / उ0त0 / फ0पौ0आ0 / 2010–11,दिनांक–10 अगस्त,2010 एवं पत्र संख्या–282 / उ0त0 / 2010–11, दिनांक–09 अगस्त,2010 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि आपके प्रस्तावानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–731 / XVI(1) / 10 / 7(18) / 10,दिनांक–23जुलाई,2010 द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 में उल्लिखित प्राविधानों का पालन करते हुए अखरोट के पौधे को आयात करने हेतु स्वीकृति निर्गत की गई है।

2– आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 में विदेश से पौधे कय किये जाने हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध न होने तथा आपूर्तिकर्ता फर्म के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान करने का उल्लेख न होने के कारण फल पौध कय करने में कठिनाई हो रही है। उक्त के अलावा नाशपाती के पौधे कय करने का उल्लेख भी नही है जबकि निदेशालय द्वारा नाशपाती के पौधे भी समान प्रकियानुसार समान फर्म से कय कर आयात किये जाने का प्रस्ताव है।

3– उत्तराखण्ड राज्य में उन्नत किस्म के फल पौधों का रोपण जलवायु के अनुसार किये जाने तथा राज्य में नवीनतम किस्म के फल पौधों का उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों में प्रस्तुत प्रस्तावों के कम में शासनादेश दिनांक 23 जुलाई,2010 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति को अवक्रमित करते हुए निम्न विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में **सघन पौध रोपण हेतु फल पौध सामग्री** का आयात योजनान्तर्गत सामग्री सम्पूर्ति एवं अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि की सीमान्तर्गत विदेश से अखरोट एवं नाशपाती के पौधों को कय कर आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रस्तर–33 (च) (एक) के अनुसार एकल स्रोतों से अधिप्राप्ति किये जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सामग्री या निर्माण सामग्री मात्र एक ही विशेष आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के पास उपलब्ध हो, या विशेष आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार को उस सामग्री या निर्माण कार्य पर

एकाधिकार हो और उसका युक्तियुक्त विकल्प या प्रतिस्थापन उपलब्ध न हो।

2– आपूर्तिकर्ता की शर्तो के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि प्रोफार्मा इन्वाईस के आधार पर नियमानुसार अग्रिम के रूप में भुगतान की जा सकती है, किन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त निश्चित समयावधि के अन्तर्गत रोपण सामग्री प्राप्त कर ली जायेगी।

3– उपरोक्त सामग्री वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत विगत वर्षो में पौधे क्रय कर आयात करने निमित्त अपनाई गई प्रक्रियानुसार क्रय की जा सकेगी।

4– आयातित फल पौध सामग्री के अपूर्ति के समय सम्बन्धित देश की भारतीय मुद्रा में प्रचलित दर के अनुरूप ही व्यय की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– अग्रिम के रूप में भुगतान की जा रही धनराशि की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपूर्तिकर्ता/इम्पोर्ट एजेण्ट से बैंक गारंटी/Letter of credit (शाख पत्र) इत्यादि अभिलेख प्राप्त कर लिये जायं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 731 /XVI(1)/10/7(18)/10,तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– महालेखाकार, (आडिट)वैभव पैलेस ,सी0–1/105 इन्द्रानगर देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,अल्मोड़ा/कोषाधिकारी, रानीखेत उत्तराखण्ड।
4– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

Kala compu section-1